उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-49/2017/214/92-2-2017-102जॉच/2015

लखनऊ :: दिनांक:: 17 मार्च,2017

कार्यालय-ज्ञाप

श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता, ई0एस0आई0सी0, नई दिल्ली (प्रतिनियुक्ति पर) वर्तमान में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल पेरीपल्ली, कोल्लम, केरल की स्थापना हेतु कन्सलटेन्सी फर्म मै0 रवि एसोसियेटस, मंगलौर के पक्ष में गठित अनुबंधों की शर्तों का फर्म द्वारा उल्लंघन करने पर उसकी जब्त की गयी परफारमेन्स गारन्टी को अवमुक्त करने में की गयी अनियमितताओं, गम्भीर दुराचरण व शासकीय क्षति कारित करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/1310/92-2014-05जांच/2014 दिनांक 07-03-2014 द्वारा उनके विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0 आर0) के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक जॉच संस्थित करते हुये उक्त अनुशासनिक जॉच के सम्पादनार्थ तत्कालीन निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया। उक्त के क्रम में तत्कालीन प्रभारी निदेशक एवं मुख्य अभिंयता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 15-05-2016 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त प्रेषित जॉच आख्या के परीक्षणोपरान्त शासन के पत्र संख्या-1565/92-2-16-102जांच/2015 दिनांक 16-08-2016 द्वारा श्री पी0आर0 राय के विरूद्व अनुशासनिक जॉच की पुन: जॉच कर आख्या शासन में उपलब्ध कराने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया।

2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-1399/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/समूह-क/व्य0प0/2016-17, दिनांक 17-11-2016 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के स्थान पर प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन (ई0एन0सी0,डी0पी0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

3- जॉच अधिकारी/प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन (ई0एन0सी0,डी0पी0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र दिनांक 30-01-2017 द्वारा प्रश्नगत जॉच पूर्ण करने में असमर्थता व्यक्त करने एवं जांच अधिकारी परिवर्तित किये जाने के अनुरोध के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच अधिकारी परिवर्तित करते हुये प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन (ई0एन0सी0,डी0पी0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्थान पर प्रमुख अभियंता (नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-49/2016/214/(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जॉच अधिकारी/प्रमुख अभियंता, (नियोजन) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पूर्व जांच अधिकारी/प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन (ई0एन0सी0,डी0पी0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से प्राप्त समस्त अभिलेख मूलरूप में इस आशय से प्रेषित कि नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन को एक माह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3- प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं नियोजन (ई0एन0सी0,डी0पी0), सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र सं0-सी-46/प्र0अ0-परि0एवं नियो0/जांच दिनांक 30-01-2017 के क्रम संदर्भ मे।

4- श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबू राम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in